न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 06/2022

अपीलांट –	***बनाम***	**रेस्पोडेंट्स –**
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा		1 ओमप्रकाश पुत्र सेवाराम कोठारी जाति माहेश्वरी निवासी पचपदरा
		2 कानसिंह वल्द दुर्गसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार
		3 कालूसिंह वल्द भंवरसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार
		4 उम्मेदसिंह पुत्र भीखसिंह कौम राजपुत सा. गुड़ामालानी खातेदार
		5 दीपाराम वल्द चूनाराम कौम प्रजापत सा. रेवाड़ा नयापुरा खातेदार
		6 हीराराम वल्द भगाराम कौम प्रजापत सा. जोधपुर खातेदार
		7 गफुरखां वल्द सुभानखां कौम मुसलमान सा. कोडुका खातेदार
		8 शेरूखां वल्द हाजीखां कौम मुसलमान सा. देह खातेदार
		9 सकुरखां वल्द रहमानखां कौम मुसलमान सा. रैवाड़ा मैया खातेदार
		10 बाबुखां वल्द नीबेखां कौम मुसलमान सा. देह खातेदार
		11 निजामखा वल्द गफुरखां जाति सिन्धि मुसलमान साकिन गिडा
		12 शेर मोहम्मद पुत्र फरीद मोहम्मद जाति सिन्धि मुसलमान निवासी मण्डापुरा
		13 हनीफखां पुत्र गफुर खां जाति सिन्धि मुसलमान निवासी बालोतरा
		14 मोहम्मद खा पुत्र गफुर खां जाति सिन्धि मुसलमान निवासी गिडा
		15 सुमेखां वल्द सुबेखां कौम मुसलमान सा. देह खातेदार
		16 बरकत खां पुत्र दाउद खां जाति सिन्धि मुसलमान निवासी नवोडा बेरा
		17 बरगतखां वल्द खिवरेखां कौम मुसलमान सा. देह खातेदार
		18 गफूरखां वल्द धूमेखां कौम मुसलमान सा. देह खातेदार
		19 बाबुखां पुत्र [illegible] जाति सिंधी मुसलमान सा. बालोतरा खातेदार
		20 [illegible] कौम मुसलमान सा. देह खातेदार
		21 [illegible] कौम जाट सा. देह खातेदार
		22 भंवरराम वल्द खीयाराम कौम जाट [illegible]
		23 सांवलराम [illegible] लूंबाराम कौम चौधरी [illegible] देह
		24 रमेशनारायण पुत्र बद्रीनारायण प्रजापत सा. जोधपुर ,

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:25:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

25 मेहराराम पुत्र अचलाराम जाट सा. कुम्पलिया ,
26 राऊराम पुत्र खेमाराम जाट सा. कोडूका
27 सायरोंदेवी पत्नी दताराम प्रजापत सा. पचपदरा
28 महेशनारायण वल्द बद्रीनारायण कौम प्रजापत सा. जोधपुर खातेदार
29 प्रेमकंवर पत्नि भवरसिंह जाति राजपुत निवासी बाडमेर
30 रमेश कुमार पुत्र जामलदास जाति सिन्धि लोहना निवासी बाडमेर
31 हरीराम पुत्र कानाराम जाति खारवाल निवासी पचपदरा
32 नाथुराम पुत्र उन्नाराम जाति प्रजापत निवासी जोधपुर
33 ओमप्रकाश पुत्र फरसाराम जाति कुम्हार निवासी पचपदरा
34 पंकज कुमार पुत्र हुकमाराम जाति खारवाल निवासी पचपदरा
35 माधाराम पुत्र तिलोकाराम जाति कलबी निवासी झवर
36 मांगीदेवी पत्नि हुकमाराम खारवाल निवासी पचपदरा
37 इंदिरा देवी पत्नि भगाराम जाट निवासी बालोतरा
38 पप्पुदेवी पत्नि बागसिंह रावणराजपुत पचपदरा
39 झमकुदेवी पत्नि पवनकुमार खारवाल निवासी मण्डापुरा
40 उमेश कंवर पत्नि नेरेन्द्रसिंह राजपुरत निवासी केलनौर
41 चंचलदंवी पत्नि राजेन्द्रकुमार खारवाल निवासी पचपदरा
42 जवानराम पुत्र पुनाराम कलबी निवासी झवर
43 चेलाराम पुत्र पीराराम प्रजापत निवासी पचपदरा
44 चैनी देवी पत्नि चुनाराम जाट निवासी खारडा भारतसिह
45 प्रेमलत्ता पत्नि भवानीसिी जाट निवासी जोधपुर
46 हुकमाराम पुत्र जेठाराम प्रजापत निवासी बालोतरा
47 नरेन्द्रसिंह पुत्र कमलसिंह राजपुत निवासी केलनोर
48 सुन्दरकुमार पुत्र दढमल जाति सिन्धि लोहना
49 सुखदेव पुत्र बादराराम विश्नोई साकिन जुना खेडा
50 गणपतलाल पुत्र भाग चन्द जाति विश्नोई निवासी धोरिमन्ना
51 थानाराम पुत्र मुलाराम जाति जाट निवासी ग्वालनाडा
52 इकबाल खां वल्क दीदार खां जाति मुसलमान निवासी गुडा बालोतान
53 वजीरखां पुत्र रसूल खां मुसलमान निवासी आहोर
54 मुश्ताक खां वल्द चांद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी पचपदरा
55 [illegible] प्रजापत निवासी जोधपुर
56 रूकम[illegible] ताजाराम कुम्हार निवासी माण्डपुरा [illegible]
57 [illegible] मांगीलाल संत निवासी पचपदरा
58 निर्मला पुत्री [illegible]ारायणलाल खारवाल निवासी पचपदरा
59 मांगाराम पुत्र मेगाराम भील निवासी पचपदरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:25:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

60 सुआदेवी पत्नि मोटाराम मेगवाल निवासी मुगडा
61 पुष्पा दुवी पत्नि शिवलाल कुम्हार निवासी पचपदरा
62 समदादेवी पत्नि बगदाराम प्रजापत निवासी पचपदरा
63 ओमप्रकाश पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी बालोतरा
64 गोविन्दराम पुत्र श्री भूराराम जाति जाट निवासी बालोतरा
65 मदनसिंह पुत्र राणसिंह राजपुत निवासी वेदरलाई
66 मेहराराम पुत्र हेमाराम जाट पचपदरा
67 संतोषदेवी पत्नी हनुमानराम प्रजापत निवासी पचपदरा
68 मीरादेवी पत्नी गोविन्दराम प्रजापत पचपदरा
69 सुमित्रादेवी पत्नी देवानंद मेहतर निवासी जसोल
70 भावना देवी पत्नि बाबुलाल धोबी निवासी बालोतरा
71 गंगाराम वल्द पुरखाराम कौम कलबी सा. देह खातेदार
72 निम्बाराम वल्द पुरखाराम कौम कलबी सा. देह खातेदार
73 मेहराराम वल्द कसराराम कौम कलबी सा. देह खातेदार
74 अनुदेवी पत्नी ईशाराम कौम कलबी सा. देह खातेदार
75 जीवाराम वल्द पनाराम कौम कलबी सा. देह खातेदार
76 भेराराम वल्द पनाराम कौम कलबी सा. देह खातेदार
77 पाताराम वल्द वागाराम कौम कलबी सा. देह खातेदार
78 उकाराम वल्द पनाराम कौम कलबी सा. देह खातेदार
79 आंबाराम वल्द कसराराम कौम कलबी सा. देह खातेदार
80 पाताराम वल्द कसराराम कौम कलबी सा. देह खातेदार
81 प्रभूराम वल्द पुरखाराम कौम कलबी सा. देह खातेदार
82 रमेशचन्द्र गौतम पि. घीसूलाल कौम ब्राह्मण सा. लखनउ खातेदार
83 सुरेश कुमार वल्द सावलराम भील निवासी मण्डापुरा
84 रेखा पुत्र नारायणलाल कौम खारवाल सा. देह खातेदार
85 बाबुदेवी पत्नी नारायणलाल कौम खारवाल सा. देह खातेदार
86 उमेदसिंह वल्द भीखसिंह कौम राजपूत सा. गुड़ामालानी खातेदार
87 राजेन्द्रसिंह वल्द भीखसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार
88 पुरूसोतम वल्द मोहनलाल कौम जैन सा. बालोतरा खातेदार
89 पुरूसोतम वल्द भंवरलाल कौम खटीक सा. गुड़ामालानी खातेदार
90 भंवरलाल वल्द शोभाजी कौम सुथार सा. देह खातेदार
91 [illegible] कौम राजपूत सा. जालौर खातेदार
92 [illegible] कौम राजपूत सा. जालौर [illegible]
93 गोविन्दराम [illegible] सूजाराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:25:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

94 रामेश्वर पुत्र सोनाराम जाति प्रजापत सा. पचपदरा खातेदार
95 कुंभाराम पुत्र खीयाराम जाट सा. लेगों की ढाणी खातेदार
96 शान्तीदेवी पत्नी घीसूलाल प्रजापत सा. पचपदरा खातेदार
97 सागरीदेवी पत्नी दताराम प्रजापत सा. पचपदरा
98 नीम्बाराम पुत्र नेनाराम जाट सा. आकड़ली खातेदार
99 राजु सोलंकी पुत्र हजारीमल जाति माली सा. बालोतरा खातेदार
100 सुशीला पत्नी मांगीलाल जाति भील सा. बाड़मेंर खातेदार
101 जयसिंह पुत्र मांगीलाल जाति भील सा. बाड़मेंर खातेदार
102 डिंपल पत्नी मोतीसिंह जाति खारवाल सा. पचपदरा खातेदार
103 प्रतिरक्षा पत्नी हरिसिंह जाति खारवाल सा. देह खातेदार
104 नरपतसिंह वल्द रिड़मलदान कौम चारण सा. डाबड खातेदार
105 ईश्वरलाल पुत्र सावलराम जाति भील निवासी मण्डापुरा
106 प्रहलादराम पुत्र छिनजी जाति प्रजापत निवासी जोधपुर
107 उनाराम पुत्र छिनजी प्रजापत निवासी जोधपुर
108 भावनादेवी पत्नि हीरसिंह खारवाल पचपदरा
109 बालूदास पुत्र गणपतदास संत निवासी मण्डापुरा
110 बींजाराम पुत्र गणपतदास संत निवासी मण्डापुरा
111 सुन्दरदेवी पत्नि गणपतदास संत मण्डापुरा
112 हबी पत्नी बाबुखान जाति मुसलमान निवासी बालोतरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 1717 दिनांक 05.09.2002 जो तहसीलदार पचपदरा द्वारा ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा के खसरा नंबर 533/2 रकबा 10 बीघा भूमि के विभाजन हेतु पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री रतनाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:25:27 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक : 04.05.2022

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार पचपदरा के द्वारा ग्राम मंडापुरा तहसील

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

पचपदरा के खसरा नंबर 533/2 रकबा 10 बीघा भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 1717 दिनांक 05.09.2002 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा मंडापुरा तहसील पचपदरा के खसरा नंबर 533/2 रकबा 10 बीघा भूमि के सहखातेदारान ने प्रार्थना–पत्र तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर आवश्यक प्रक्रिया उपरान्त तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 1717 दिनांक 05.09. 2002 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.01.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया। रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है। रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत विभाजन पत्र में पक्षकार विशेष को विभाजन की जा रही भूमि में किस हिस्सा विशेष की भूमि का हक किसे दिया जा रहा है, इसका न तो कोई विवरण दिया गया है और न ही कोई नक्शा/मानचित्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें पक्षकार को दिये जा रहे भू–भाग की विशिष्टियों को प्रदर्शित करते हुए सहमति ली गई हो। उक्त अपीलाधीन आदेश के क्रम में जारी किये गये नामान्तरकरण संख्या 627 एवं खसरा नंबर 533/2 के कुल 60 खसरा (बटा) नंबर कायम किये गये [illegible] नक्शे के अभाव में लट्ठा ट्रेस में इन खसरा नंबरान का अंकन नहीं हो [illegible] ही उपर्युक्त अंकन नहीं किये जा सकने के कारण एवं मौके छोड़े गये रास्तों का विभाजन पत्र में कहीं उल्लेख नहीं होने के कारण पक्षकारान के मध्य विवाद है जिसे विधिक रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:25:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

से तय करने में स्पष्ट नक्शे के अभाव में अनिश्चितता है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि डीआईएलआरएमपी कार्य के दौरान उक्त अपीलाधीन विभाजन की जानकारी प्राप्त हुई तथा जानकारी होने से यह अपील अंदर मयाद प्रस्तुत है। अपीलाधीन विभाजन का मानचित्र व उसमें प्रत्येक खातेदार की सहमति के कोई प्रमाण लिये बिना ही अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध पारित किया गया है तथा विधिविरूद्ध आदेश को चुनौती दिये जाने हेतु मयाद कतई बाधित नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मयाद शुमार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावे।

6. हमने अपीलांट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा मंडापुरा तहसील पचपदरा के खसरा नंबर 533/2 रकबा 10 बीघा भूमि के सहखातेदारान ने प्रार्थना-पत्र तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना-पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर आवश्यक प्रक्रिया उपरान्त तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 1717 दिनांक 05.09.2002 पारित किया गया है। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव के संलग्न किसी प्रकार का विभाजन नक्शा तैयार नहीं किया गया है और न ही पक्षकारान को विभाजन में दिये गये भू-भाग को चिह्नित किया गया है। ऐसे में किसी पक्षकार को विभाजन के फलस्वरूप दिये जाने वाले विशिष्ट भू-भाग को चिह्नित किये बिना किया गया विभाजन नियम विरूद्ध एवं अपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विवादित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ प्लॉट्स के रूप में विभाजन किया गया है तथा विभाजन के फलस्वरूप उक्त प्लॉट्स के मध्य छोड़े गये रास्ते का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनियमित रूप से आवासीय कॉलोनी में प्लॉट्स के रूप में भूखण्ड धारकों का विभाजन स्वीकार करने की गंभीर विधिक भूल की गई है। वर्तमान में राजस्व अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के दौरान उक्त अनियमित विभाजन स्वीकृति आदेश की जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है जो यद्यपि 20 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत हुई है किन्तु मैरिट पर विवेचन से अपीलाधीन आदेश पूर्णतया विधिविरूद्ध पाया जाता है तथा विधिविरूद्ध आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:25:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

को चुनौती दिये जाने हेतु मयाद बाधक नहीं है। लिहाजा अपीलांट की अपील प्रकट तथ्यों के आधार पर अंदर मयाद शुमार की जाती है। अपीलाधीन विभाजन के फलस्वरूप राजस्व नक्शों में तरमीम किया जाना संभव नहीं है तथा तरमीम के अभाव में पक्षकारान के बीच कब्जे को लेकर विवाद की स्थिति बनी रहेगी। अतः उपर्युक्त विवेचन के परिणामस्वरूप अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश दोषपूर्ण होने से बहाल रखा जाना विधिअनुकूल एवं उचित नहीं है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 1717 दिनांक 05.09.2002 अपास्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 04.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:25:27 IST
Reason: SelfAttested